



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट- सी सं0 - 1424 वर्ष 2026

मन्नान अहमद तथा 5 अन्य

..... याची(गण)

बनाम

उ0प्र0 राज्य तथा 6 अन्य

..... प्रत्यर्थी(गण)

याची (गण) के अधिवक्ता : विनोद कुमार यादव

प्रत्यर्थी (गण) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता, रामेश्वर प्रसाद शुक्ला

न्यायालय सं0 6

मा0 प्रकाश पाड़िया, न्यायमूर्ति

1. याची के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का परिशीलन किया।
2. इसमें पारित किये जाने के लिए प्रस्तावित आदेश के दृष्टिगत, प्राइवेट प्रत्यर्थी को नोटिस देने से तथा इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने से कोई लाभदायक उद्देश्य पूरा नहीं होगा। फिर भी, यदि प्राइवेट प्रत्यर्थी आदेश द्वारा व्यथित महसूस करता है आदेश के उभारण/फेरफार की मांग करने के इसके अधिकार को सुरक्षित किया जा रहा है।
3. वर्तमान याचिका में याचीगण द्वारा ईप्सित मूलभूत अनुतोष उ0प्र0 भूराजस्व संहिता 2006 की धारा 116 के अन्तर्गत दाखिल मामला सं0 6737 वर्ष 2024 (कम्प्यूटरीकृत मामला सं0 टी202415060706737) का शीघ्रता से विनिश्चय करने के लिए प्रत्यर्थी सं0 2/उप खण्ड अधिकारी, तहसील सगरी जिला आजमगढ़ को निदेश देने के संबंध में है।
4. मामला काफी लंबे समय से अवर न्यायालय के समक्ष लंबित है तथा पर्याप्त समय पहले ही बीत चुका है लेकिन आज की तिथि तक मामले में अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
5. मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों में, पूर्वोक्त मामले का सर्वथा विधि के अनुसार तथा अनावश्यक स्थगन दिये बिना जब तक कोई विधिक बाधा न हो विनिश्चय करने के लिए संबंधित न्यायालय को निदेशित करते हुए वर्तमान याचिका को निपटाया जाता है।

जनवरी, 20, 2026

(प्रकाश पाड़िया, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"